Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

मुकाम:— अंकिता धर्म आदि बनाम पृथ्वीराज आदि

धारा — 88,53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या — 227 / 2019

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.7.2019 को पेश हो।	
31-7-19 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी गण की ओर से श्री मदन लाल मुगा वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया गया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा मय शपथ-पत्र पेश किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राज पैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में राजीनामा होने से तनकीयात बनना नहीं पाया गया। साक्ष्य शपथ पत्र पेश हो चुके हैं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2-8-19 को पेश हो।	अंकिता वकील वादी मदन लाल मुगा
2-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

कपिल यादव
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 227 / 2019

1 अंकिता धर्मपत्नि स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 दिग्विजय सिंह पुत्र स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 वेदप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 फरसाराम पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 पृथ्वीराज पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 इंशिता पुत्री स्व. श्री पवन कमार पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री मदनलाल मूण्ड अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1 व 2
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ में प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र श्री श्योनाथ के नाम चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 में 3.605 हैक्टर व चक नम्बर 7 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 55/48 में 6.325 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का वादी संख्या 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र पवन कुमार के वारिसान है एवं वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है इसलिए उनका जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सुविधा प्राप्त नहीं हो रही एवं फसल बेचान आदि के समय वादीगण के भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए वादीगण उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद में अपने हक व हिस्सा एवं पारिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि की घोषणा करवाकर भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 2

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की पुत्री व वादी संख्या 2 की सगी बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र पवन कुमार की पुत्री है, ने वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे पूर्व में ही तर्क कर रखा है। प्रतिवादिया संख्या 2 कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती। वादीगण ने मिलकर घराघरू बंटवारा कर लिया है एवं मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है घरा घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से है :–

1. वादी संख्या 1 व 2 अंकिता व दिग्विजय :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 के पत्थर नम्बर 101/271 (44) के किला नम्बर 7 से 10, 15/0.190 हैक्टर कुल तादादी 1.012 हैक्टर।
2. वादी संख्या 3 वेदप्रकाश :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 के पत्थर नम्बर 101/271 (44) के किला नम्बर 11 से 14, 15/0.063, 16/0.126 हैक्टर कुल तादादी 1.201 हैक्टर।
3. वादी संख्या 4 फरसाराम :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 के पत्थर नम्बर 101/271 (44) के किला नम्बर 16/0.064, 17 से 20, 24/0.126 कुल 1.202 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज :– चक 7 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 55/48 के पत्थर नम्बर 70/266 (35) के किला नम्बर 22, 23, पत्थर नम्बर 69/267 (45) के किला नम्बर 4 से 6, पत्थर नम्बर 70/267 (46) के किला नम्बर 1 से 3, 7 ता 10, पत्थर नम्बर 65/268 (54) के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 15 कुल तादादी 6.325 हैक्टर।

वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घराघरू बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु पक्षकारों को हमेशा सरकारी योजनाओं के लाभ फसल बेचान कृषि ऋण आदि लेने में परेशानी रहती है। इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्सा एवं पारिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि जो वाद पत्र की चरण सख्या 4 में घराघरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है व वादीगण अपने घराघरू बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है व इसी अनुसार घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र पवन कुमार के वारिसान होनें व वादीगण संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उनका हिस्सा बराबर हक व हिस्सा की भूमि को घरा घरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त है वादीगण के नाम दर्ज करवा ले पहले तो वह टालमटोल करते रहे आखिर दिनांक 21.07.2019 को मुकाम मक्कासर में स्पष्ट इन्कार हो गये यहि विनाय मुखसमत दावा है।

प्रतिवादी संख्या 3 को बतौर भू धारक वाद में पक्षकार बनाया गया है, वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद में वादीगण को मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घरा घरू बंटवारा/पारिवारिक समझौता अनुसार हकदार घोषित किया जावे।
(ख) वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घरा घरू बंटवारा घोषणा व खाता विभाजन कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।
(ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 31.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा पढ़ने समझाने के बाद हस्ताक्षर किये गये। वादीगण की पहचान श्री रामकुमार करवा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पहचान श्री मदनलाल मुण्ड अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी वाद पत्र में हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है, प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज पुत्र श्री श्योनाथ के नाम चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34 / 32 में 3.605 हैक्टर व चक नम्बर 7 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 55 / 48 में 6.325 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का वादी संख्या 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र पवन कुमार के वारिसान है एवं वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है इसलिए उनका जन्म से हक व हिस्सा है। वादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं

प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की पुत्री व वादी संख्या 2 की सग्गी बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र पवन कुमार की पुत्री है, ने वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में पूर्व में ही तर्क कर रखा है। प्रतिवादिया संख्या 2 कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती। वादीगण ने मिलकर घराघरू बंटवारा कर लिया है एवं मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है घरा घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से है :–

1. वादी संख्या 1 व 2 अंकिता व दिग्विजय :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34 / 32 के पत्थर नम्बर 101 / 271 (44) के किला नम्बर 7 से 10, 15 / 0.190 हैक्टर कुल तादादी 1.012 हैक्टर,।
2. वादी संख्या 3 वेदप्रकाश :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34 / 32 के पत्थर नम्बर 101 / 271 (44) के किला नम्बर 11 से 14, 15 / 0.063, 16 / 0.126 हैक्टर कुल तादादी 1.201 हैक्टर।
3. वादी संख्या 4 फरसाराम :– चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34 / 32 के पत्थर नम्बर 101 / 271 (44) के किला नम्बर 16 / 0.064, 17 से 20, 24 / 0.126 कुल 1.202 हैक्टर।
4. प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज :– चक 7 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 55 / 48 के पत्थर नम्बर 70 / 266 (35) के किला नम्बर 22, 23, पत्थर नम्बर 69 / 267 (45) के किला नम्बर 4 से 6, पत्थर नम्बर 70 / 267 (46) के किला नम्बर 1 से 3, 7 ता 10, पत्थर नम्बर 65 / 268 (54) के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 15 कुल तादादी 6.325 हैक्टर।

इसी अनुसार वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे जो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे जो हम पक्षकारान सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 में 3.605 हैक्टर व चक नम्बर 7 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 55/48 में 6.325 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

लगातार 5

Scanned by CamScanner

वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 पथ्वीराज के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34/32 में 3.605 हैक्टर रकबा में से वादी संख्या 1 अंकिता व वादी सख्या 2 दिग्विजय को 1.202 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर वादी संख्या 3 वेदप्रकाश को 1.201 हैक्टर तथा वादी संख्या 4 फरसाराम को 1.202 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 अंकिता धर्मपत्नि स्व. श्री पवन कुमार तथा वादी संख्या 2 दिग्विजय सिहं पुत्र स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34/32	101/271 (44)	7 ता 10 सालम, 15/.190,	1.202 हैक्टर

2. वादी संख्या 3 वेदप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34/32	101/271 (44)	11 ता 14 सालम, 15/.063, 16/.126	1.201 हैक्टर

3. वादी संख्या 4 फरसाराम पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :-

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34/32	101/271 (44)	16/064, 17 ता 20 सालम, 24/.126	1.202 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 02.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 227 / 2019

1. अंकिता धर्मपत्नि स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. दिग्विजय सिंह पुत्र स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. वेदप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. फरसाराम पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

:– बनाम :–

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. इशिता पुत्री स्व. श्री पवन कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 02.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण की ओर से श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल मूण्ड अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक ....08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीराज के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 34 / 32 में 3.605 हैक्टर रकबा में से वादी संख्या 1 अंकिता व वादी सख्या 2 दिग्विजय को 1.202 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर वादी संख्या 3 वेदप्रकाश को 1.201 हैक्टर तथा वादी संख्या 4 फरसाराम को 1.202 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 अंकिता धर्मपत्नि स्व. श्री पवन कुमार तथा वादी संख्या 2 दिग्विजय सिहं पुत्र स्व. श्री पवन कुमार पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34 / 32	101 / 271 (44)	7 ता 10 सालम, 15 / .190,	1.202 हैक्टर

2. वादी संख्या 3 वेदप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34 / 32	101 / 271 (44)	11 ता 14 सालम, 15 / .063, 16 / .126	1.201 हैक्टर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Scanned by CamScanner

3. वादी संख्या 4 फरसाराम पुत्र पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एस.टी.जी.	34/32	101/271 (44)	16/064, 17 ता 20 सालम, 24/.126	1.202 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —	कमिश्नर की फीस	— —
आदेशिका की तामिल	— —		
योग	— —	योग	— —

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: